

आ०सं०/रा०प्र०वे०-1/ 112 /स्था०/2018-19 दिनांक: 25 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप/ अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश(दुर्गम से सुगम)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-07 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक प्राथमिक के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण मानकानुसार स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र. सं. | अध्यापक/ अध्यापिका का नाम | पद | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी |
|----------|---------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्री महेंद्र सिंह चौहान | प्र.अ. | रा.प्रा.वि. लुधरा, कालसी, देहरादून | दुर्गम | रा.प्रा.वि. हारिपुर कालसी, देहरादून | सुगम |
| 2 | श्रीमती सावेत्री जोशी | प्र.अ. | रा.प्रा.वि. काहा, कालसी, देहरादून | दुर्गम | रा.प्रा.वि. कालसी जंगलात, कालसी, देहरादून | सुगम |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- दिनांक: 07.07.2018 तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित अधिकारियों को अवमुक्त करेंगे।
- स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य "कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य "यात्रा अवधि" (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(हेमलता भट्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
देहरादून।

पृ०सं०/ रा०प्र०वे०-1/ 2293-2303 /2018-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- जिलाधिकारी, देहरादून।
- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, देहरादून।
- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक को दिनांक: 07.07.2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/ कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें।
- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को दिनांक: 07.07.2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करे, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।
- कार्यालय गार्डफाइल

(हेमलता भट्ट)
25.6.18
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
देहरादून।

आ०सं०/रा०प्र०वे०-1/ 113 /स्था०/2018-19 दिनांक: 25 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप/ अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश(दुर्गम से सुगम)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-07 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण मानकानुसार स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र. सं. | अध्यापक/ अध्यापिका का नाम | पद | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी |
|----------|---------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्री सुषमा पाल | स.अ. | रा.प्रा.वि. दधेऊ, कालसी, देहरादून | दुर्गम | रा.प्रा.वि. कंहरोगाव, सहसपुर, देहरादून | सुगम |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- दिनांक: 07.07.2018 प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित अधिकारियों को अवमुक्त करेंगे।
- स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य "कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य "यात्रा अवधि" (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(हेमलता भट्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
देहरादून।

पृ०सं०/रा०प्र०वे०-1/ 2304-12 /2018-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- जिलाधिकारी, देहरादून।
- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, देहरादून।
- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक को दिनांक: 07.07.2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/ कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें।
- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को दिनांक: 07.07.2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्यक करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।
- कार्यालय गार्डफाइल

25.6.18
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
देहरादून।

कार्यालय ज्ञाप/ अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर अनुरोध के आधार पर विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र. सं. | अध्यापक/ अध्यापिका का नाम | पद | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी | विवरण |
|----------|---------------------------|-------|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | श्रीमती आनेता बलोदी | स. अ. | रा.प्रा.वि. गोधी ग्राम बुल्लावाला, डोईवाला | सुगम | रा.प्रा.वि. गोरखपुर, रायपुर, देहरादून | सुगम | स्वयं गम्भीर रोग ग्रस्त |
| 2 | तुलसी थापा | स. अ. | रा.प्रा.वि. धनपऊ, कालसी, देहरादून | दुर्गम | रा.प्रा.वि. भगवन्तपुर, सहसपुर, देहरादून | सुगम | स्वयं गम्भीर रोग ग्रस्त |

(हेमलता भट्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
देहरादून।

पृ०सं०/ रा०प्र०बे०-1/

2315-25

/2018-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
6. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, देहरादून
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक को दिनांक: 07.07.2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/ कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
10. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को दिनांक: 07.07.2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करे, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।
11. कार्यालय गार्डफाइल

25.6.18
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
देहरादून।